# कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/प्राशिपूप/दिशानिर्देश/2018/172 दिनांक : 14.12.2018

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
   समस्त
2. प्रधानाचार्य
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
   समस्त

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा–2019 हेतु आवेदन करने की आयु सीमा में शिथिलता बाबत।

प्रसंगः शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर का पत्र क्रमांक प.17(30) प्राशि/2017 दिनांक 22.11.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा–2019 में ऑनलाइन आवेदन हेतु 16 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों हेतु समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए आयु सीमा में शासन द्वारा छूट की अनुमति प्रदान की गई है।

ऐसे विद्यार्थियों हेतु पी.ई.ई.ओ. स्तर पर जाँच कर पूर्व में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ही आवेदन भरवाएँ। इस हेतु जिले के प्रिण्ट मीडिया के मार्फत सूचना प्रसारित कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न करवाएँ।

शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के निर्देशानुसार समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि आगामी वर्षों हेतु कक्षा 8 में आर.टी.ई. नियमों के तहत निर्धारित आयु सीमा में ही प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करावें। यदि निर्धारित आयु सीमा से अधिक के विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हों तो उन्हें **'साक्षर भारत योजना'** के तहत संचालित परीक्षा या ओपन स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित कर शैक्षिक अभिवृद्धि करावें। इस हेतु अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को आदेशित करें।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि **'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के अध्याय 2 की धारा 4 के तहत 16 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के प्रावधान की पालना करावें।** उक्तानुसार ही कक्षा 8 में विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जावें। आगामी सत्र में 16 वर्ष की आयु से अधिक के नामांकन न हों, यह सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

निदेशक 14/12/18
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner